

प्रेस नोट

थाना गुरसराय, झाँसी

दिनांक 20.11.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 20.11.2025 को थाना गुरसराय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता – 1.श्रीमती मोहिनी पत्नी अविनाश उम्र 20 वर्ष, निवासी- झबरा, थाना- ऐरच, जनपद- झाँसी 2. श्रीमती निक्को पत्नी बलराम उम्र 20 वर्ष, निवासी- ग्राम- झबरा, थाना- ऐरच, जनपद- झाँसी के कब्जे से दो प्लास्टिक की वोरियो मे 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गुरसराय पर मु0अ0सं0-240/25 धारा - 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता अभियुक्ता –

- 1- मोहिनी पत्नी अविनाश निवासी झबरा थाना ऐरच झाँसी उम्र 20 वर्ष
- 2- निक्को पत्नी बलराम निवासी ग्राम झबरा थाना ऐरच झाँसी उम्र 20 वर्ष

बरामदगी-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान-

गुरसराय मार्ग से फरीदा ग्राम के मोड़ पर थाना गुरसराय जनपद झाँसी

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि0/कर्म गण का नाम-

- 1 – अमीराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 2 – उ0नि0 सूर्यकान्त त्रिपाठी थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 3- म0का0 प्रतिमा पटेल थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 4 – का0 870 आशीष द्विवेदी थाना गुरसराय जनपद झाँसी
- 5- आबकारी निरी0 सोनीवाला जायसवाल क्षेत्र -4 गरौठा जनपद झाँसी (मय टीम)